न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 72/2023

निर्णय दिनांकः 13.11.2025

ऑनलाईन नम्बर 2023/112

गणेशाराम पुत्र बीरमाराम जाति नायक निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़

—प्रार्थी—

बनाम

1. मोहीत पुत्र अमीत कुमार नाबालिक प्राकृतिक संरक्षक अपने पिता अमित कुमार पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़।
2. भानू पुत्र अमीत कुमार नाबालिक प्राकृतिक संरक्षक अपने पिता अमित कुमार पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़।
3. करीना पुत्री पुत्र अमीत कुमार नाबालिक प्राकृतिक संरक्षक अपने पिता अमित कुमार पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़
5. सुरजा देवी पत्नी लालू
6. अमराराम पुत्र लालू
7. दानाराम पुत्र लालू
8. पनाराम पुत्र लालू
9. पेमा पुत्री लालू
10. भंवराराम पुत्र लालू
11. मैना पुत्री लालू
12. श्रवणराम पुत्र लालू

(5 से 12) जाति नायक निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर हाल जयमलसर तहसील व जिला बीकानेर

13. मनी देवी पत्नी स्वर्गीय बीरमाराम जाति नायक निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्रीडूंगरगढ़।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री के.के. पुरोहित अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. अप्रार्थी संख्या 5 ता 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 13 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 266 क्षेत्रफल 3.8800 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमीसर दिखनादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी के वादगत खेत खसरा नम्बर 466 क्षेत्रफल 3.8800 हैक्टेयर रोही लिखमीसर दिखनादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आवागमन का कोई रिकार्डेड (कच्चा) रास्ता नहीं है जिसकी वजह से वादगत खेत के खातेदारान को काफी असुविधा हो रही है और [illegible] खातेदारी अधिकारों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

वंचित हो रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 267 क्षेत्रफल 6.8300 हैक्टेयर रोही ग्राम लिखमींसर दिखनादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है जो प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 266 के चिपते ही दक्षिणी दिशा में स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 267 के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 271 क्षेत्रफल 0.4000 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क (रिकार्डेड रास्ता) मौजूद है। प्रार्थी के खेत तक पहूंच का कोई रिकार्डेड रास्ता मौजूद नही हैं। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 267 के चिपते ही दक्षिणी तरफ स्थित खसरा नम्बर 271 गैर मुमकिन सड़क से खसरा नम्बर 267 की पश्चिमी सिंव के सहारे सहारे होते हुए अपने खेत में आवागमन करना चाहता हैं परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उक्त रास्ता से आवागमन करने से मना कर दिया जाता है। प्रार्थी के खेत का कोई पहूंच का मार्ग नही होने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को काश्त करने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का उपरोक्त रास्ता आवश्यकता का रास्ता है। खसरा नम्बर 271 गैर मुमकिन सड़क से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत खसरा नम्बर 267 की पश्चिमी सिंव के सहारे सहारे सबसे नजदीक का रास्ता हैं । उक्त रास्ता प्रार्थी की सुविधा का रास्ता ना होकर अत्यन्त ही आवश्यकता का रास्ता हैं। खेत खसरा नम्बर 271 क्षेत्रफल 0.4000 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की सयुंक्त खातेदारी के खेत खसरा, नम्बर 267 क्षेत्रफल 6.8300 हैक्टेयर की पश्चिमी सिंव के सहारे सहारे होते हुए प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 266 तक रास्तां को दर्शाते हुये नजरी नक्शा संलग्न किया जा रहा हैं। जिसमें लाल स्यांही से मार्क A से B तक प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता दर्शाया हुआ हैं जो अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि में से गुजरता हैं। उक्त रास्ता अत्यन्त ही आवश्यकता का एवं प्रार्थी की भूमि तक पहूंचने का एकमात्र रास्ता हैं। उक्त रास्ता सुविधा का ना होकर आवश्यकता का रास्ता हैं। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपने खेत तक पहूंचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौका पर नही हैं। यह है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि तक प्रहुंचने के लिए रास्ता की आवश्यकता हैं रास्तें के अभाव में प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहा है। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही हैं यही एक मात्र रास्ता हैं । प्रार्थी नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शायें मार्क A से B के रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता (कट्टाणी) दर्ज करवाना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे जितनी भूमि को कट्टाणी रास्ता के रूप में दर्ज की जातीं हैं उसकी नियमानुसार प्रतिकर राशि प्रार्थी अदा करने के लिए के तैयार व तत्पर है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से सलंग्न नजरी नक्शा में मार्क A से B तक दर्शित रास्ता को सहमति से कट्टाणी दर्ज करवा लेने हेतू निवेदन किया परन्तू अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने दिनांक 22.04.2023 को प्रार्थी को रास्ता देने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। प्रार्थी को इन्कारी की दिनांक से अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादहेतु व वादगत खेत का [illegible] होने से वादाधार प्राप्त हैं। अप्रार्थी संख्या 5 ता 13 वादगत खेत खसरा नम्बर 266 के संयुक्त [illegible] होने से व अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

4 स्टेट के द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण किये जाने से पक्षकार संयोजित किया गया हैं जिनके विरूद्ध प्रत्यक्ष कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वादगत खसरान की कृषि भूमि रोही ग्राम लिखमीसर दिखनादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित होने से प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में हैं। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर व हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन हैं कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 266 क्षेत्रफल 3.8800 हैक्टेयर वाके रोही लिखमीसर दिखनादा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आवागमन हेतु खेत खसरा नम्बर 271 क्षेत्रफल 0.4000 हैक्टेयर गैर मुमकिन सड़क रोही ग्राम लिखमीसर दिखनादा से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खातेदारी खेत नम्बर 267 क्षेत्रफल 6.8300 हैक्टेयर की पश्चिमी सिंव सिंव होते हुए नजरी नक्शा में दर्शित मार्क A से B तक गैर मुमकिन कट्टाणी रास्ता दर्ज किया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 266 तक पहुंच का रास्ता देने का आदेश अप्रार्थी संख्या 4 को फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 13 की ओर से असालतन व वकालतन कोई हाजिर नहीं आने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 13 के विरूद्ध को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के पश्चात अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये है परन्तु इनकी ओर से एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करनें हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि धारा 251 क राजस्थान भू राजस्व के अधिनियम के तहत किसी भी खातेदार के खेत मे पूर्व मे आवागमन का रास्ता हो या किसी भी प्रकार का कोई रास्ता न हो तो ऐसी स्थिति मे ही अन्य खेत से रास्ता लिया जा सकता है, व राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जा सकता है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.07.2023 को मौका रिपार्ट तैयार की गई जिसमे स्पष्ट रूप से पैरा संख्या 4 और 5 मे उल्लेख किया है कि प्रार्थी के खेत मे आवागमन का रास्ता खसरा नम्बर 281,289 व 291 मे से होकर स्थित है, तथा उक्त रास्ता अपने मौका नक्शा मे भी बताया गया है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के खेत से रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी नही है। प्रार्थी सुविधा अनुसार रास्ते की मांग नही कर सकता एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
बीकानेर)

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। चूंकि यह स्पष्ट है की तहसीलदार श्रीडूंगरगढ से प्राप्त प्रथम मौका रिपोर्ट के समय मौके पर खेत खसरा नंबर 266 तक आवागमन का रास्ता मौजूद था, जिस वजह से प्रकरण धारा 251क की मूलभूत शर्त आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव को पूरा नही करता है। तहसीलदार से प्राप्त द्वितीय रिपोर्ट मे मौके पर प्रचलित रास्ता बन्द कर दिया प्रतीत होता है, चूंकि रास्ते के एक तरफ पक्की सडक है तो पूर्व में प्रचलित रास्ते के निशानों की उपस्थिति भी मौके पर दिखना संभव नही रहा होगा।

चूंकि धारा 251क के तहत रास्ता केवल उसी स्थिति में दिया जाना चाहिए जब प्रार्थी के पास पहुंच के लिए रास्ते का अन्य विकल्प मौजूद ना हो अन्यथा इस प्रावधान को बनाने का मूल उद्धेश्य ही परीपूर्ण/ फलीभूत नही होगा। प्रार्थी को रास्ता बन्द होने की स्थिति मे आरटीए की धारा 251 सुखाचार के तहत तहसीलदार से प्रचलित रास्ते के उपयोग व उपभोग के अधिकार को पुर्नस्थापित करवाया जाना चाहिए था। अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 10 व 12 के विरूद्ध दिनांक 18.08.2025 को एकतरफा कार्यवाही अम्ल में लाई जा चुकी है परन्तु उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 266 में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो न्याय निर्णय मे सहायक है। प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आवश्यकता को ना होकर सुविधा का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अनुसार चाहा गया रास्ता सुविधा का न होकर अत्यन्त आवश्यकता का होना चाहिए एवं वैकल्पिक रास्ता का अभाव होना मूलभूत शर्त है। प्रार्थी द्वारा केवल अपनी सुविधानुसार रास्ते की मांग की गई है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को निर्देशित किया जाता है के प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 266 के पूर्व में प्रचलित रास्ते को नियमानुसार खुलवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:29:19 IST
Reason: SelfAttested